

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - /2020 (Bank Case)

शुभम हाउसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड शाखा- कोटा

- प्रार्थी

## बनाम

1. श्री बबलू

पता- 1. 492, हरिजन बस्ती, रंगबाडी, तहसील लाडपुरा जिला कोटा-  
324005

2. सर्वे नं० आर.ए.वाई.-647, रंगबाडी, कच्ची बस्ती, तहसील  
लाडपुरा, जिला-कोटा (राज०) 324005

2. अमर लाल

पता- 492, हरिजन बस्ती, रंगबाडी, तहसील लाडपुरा जिला कोटा-  
324005

- अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का  
प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन  
अधिनियम 2002


उपस्थित

श्री अमरसिंह नरुका, अभिभाषक प्रार्थी

## आदेश

दिनांक: 21 .01.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि शुभम हाउसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड शाखा- कोटा, राजस्थान में स्थित हैं, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 14.03.2015 को रुपये 2,70,467/- (अक्षरे: रुपये दो लाख सत्तर हजार चार सौ सडसठ मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्क्योरिटी के रूप में अचल सम्पत्ति सर्वे नं० आर०ए०वाई०-647, रंगबाडी, कच्ची बस्ती, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा, राजस्थान-324005 में स्थित हैं (क्षेत्रफल उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर 800 वर्ग फुट है) जो कि बबलू एवं अमरलाल के नाम से हैं, जिसका पट्टा कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा पत्रांक/462 दिनांक 18.10.2013 को जारी किया गया है को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था । अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 19.09.2016 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खातों में 2,46,677 /-( अक्षरे दो लाख छियालीस हजार छः सौ सत्तर रुपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 19.09.2016 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की

  
जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा (राज०)


धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 19.09.2016 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र "दैनिक नवज्योति" एवं "टाईम्स नेशन" में दिनांक 24.09.2016 को प्रकाशन भी कराया, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी दिनांक 19.09.2016 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र "दैनिक नवज्योति" एवं "टाईम्स नेशन" में दिनांक 24.09.2016 को प्रकाशन भी कराया, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 19.09.2016 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र "दैनिक नवज्योति" एवं "टाईम्स नेशन" में दिनांक 24.09.2016 को प्रकाशन भी कराया, इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता की अचल सम्पत्ति सर्वे नं० आर०ए०वाई०-647, रंगबाडी, कच्ची बस्ती, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा, राजस्थान-324005 में स्थित हैं (क्षेत्रफल उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर 800 वर्ग फुट है) जो कि बबलू एवं अमरलाल के नाम से हैं, जिसका पट्टा कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा पत्रांक/462 दिनांक 18.10.2013 को जारी किया गया है का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्त कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 21.01.2020 को सुनाया गया।



  
(आम कसेरा)  
जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा